निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)
(सं0 पटना 398) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

सं0 15/पी 5–07/10—420
मानव संसाधन विभाग

———————

संकल्प
15 फरवरी 2011

विषयः—विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' स्थापित करने के संबंध में।

विद्यालयी एवं व्यावसायिक शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्कों को ''मुक्त विद्यालयी शिक्षा'' के माध्यम से शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए '' बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' स्थापित करने का बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

देश एवं राज्य में भारी संख्या में बालक/बालिकाओं एवं अन्य वयस्क, औपचारिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा से कतिपय समाजिक, आर्थिक एवं भौगौलिक कारणों से बाहर है। ऐसे सभी शिक्षित रूप से पिछड़े वर्गो को, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''दुरस्थ एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षण प्रणाली'' एक सशक्त माध्यम के रूप में पुरे देश में उभरी है। यह उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के पश्चात् एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के आरंभ होने के बाद, औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर दबाव और अधिक बढ़ेगा। इस दबाव के कारण उत्पन्न मांग की पूर्ति में यह बोर्ड सार्थक भूमिका निभाएगा।

''बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' के संबंध में मुख्य अंश निम्नवत् हैं :–

(क) इस संस्था का नाम '' बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड'' होगा।
(ख) इस नाम की संस्था को सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट 1860 के अंदर स्थापित किया जायेगा।
(ग) इसका संचालन सामान्य परिषद् एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से होगा।
(घ) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, निदेशक, उप–निदेशक आदि के पद राज्य सरकार के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रतिनियुक्ति से भरे जायेगें।
(ङ) सहायक निदेशक, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, कम्प्युटर ऑपरेटर, रोकड़पाल, आदेशपाल आदि राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति/संविदा के आधार पर रखे जायेगें।

यह बोर्ड अन्य औपचारिक विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के समतुल्य होगा एवं प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं डिग्री पूर्व तक की सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा ''मुक्त एवं दूरस्थ विद्यालीय प्रणाली के माध्यम से प्रदान करेगा। इसके माध्यम से आवेदकों का समान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के विषयों में नामांकन किया जायेगा।

इन विषयों में शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद यह बोर्ड उनकी परीक्षा लेगा एवं मुल्याकंन के पश्चात छात्र/छात्राओं को प्रमाण–पत्र निर्गत करने का कार्य करेगा जिससे इसे एक ''शिक्षा बोर्ड'' के रूप में आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड मानव संसाधन विकास विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का संचालन भी करेगा।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के एसोशिएसन में अध्यक्ष, मुख्यकार्यपालक पदाधिकारी, सामान्य निकाय, कार्यकारी बोर्ड होंगें। सोसायटी के प्राधिकार एवं समितियां भी होगी। सामान्य निकाय के सदस्यों में मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, प्रधान सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बिहार सरकार द्वारा नामित एक शिक्षाविद्, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा आदि होंगें। सदस्यता की शर्ते भी निर्धारित की गई है।

सामान्य निकाय अन्य कार्यो के अलावा सोसायटी को सलाह देगा एवं वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन की जाँच भी करेगा। सोसायटी का एक कार्यकारी बोर्ड भी होगा जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव होगें। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि इसके सदस्य होंगें। समान्यतया कार्यकारी बोर्ड में सोसायटी की सभी शक्तियॉ, नीति निर्धारण सहित निहित होगी जो इसके कार्यो को करने और इसे सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हो। हालांकि यह अपने शक्तियों का प्रयोग इसके मिशन, कार्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामान्य निकाय से समय–समय पर प्राप्त सलाह के आधार पर करेगी। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों के दायित्यों का भी निर्धारण किया गया है।

सोसायटी उचित खातों एवं अन्य संबंधित रिकार्ड संधारित करेगी तथा रिसीट पेमेंट एकाउन्ट, देनदारी, परिसम्पतियों के वक्तव्य जैसा कि सरकार निर्धारित करे, वार्षिक लेखा के लिए तैयार करेगी। सोसायटी के खातों का महालेखाकार कार्यालय बिहार के द्वारा विधिवत लेखा परीक्षण कर बिहार सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जायेगा और सरकार लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर इसे विधान–सभा के पटल पर रखेगी।

सोसायटी के विघटन की स्थिति में बिहार सरकार के संकल्प के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) की धारा के प्रावधान के अनुसार विघटन सरकार के सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति से होगा एवं विघटन के पश्चात सोसायटी की परिसंपतियाँ एवं देनदारियॉ राज्य सरकार में समाहित हो जायेगी।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंदर सभी उपबंध जैसा कि बिहार राज्य के अंदर लागू होते है इस सोसायटी पर लागू होगें।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के एसोशिएसन का ज्ञापन में बोर्ड के लक्ष्य उद्देश्य एवं कार्यो की परिधि परिभाषित की गई है। बोर्ड सामान्य, व्यावसायिक एवं सतत् शिक्षा के विकास के लिए पाठ्यक्रयों को प्रस्तावित करेगा जो स्नातक स्तर के नीचे (सर्टिफिकेट/डिप्लोमा) के स्तर तक का प्रमाण पत्र दे। बोर्ड मुक्त विद्यालयी शिखा एवं मुक्त शिक्षण के क्षेत्र में शोध, नवाचार एवं प्रयोग की जिम्मेदारी लेगा तथा प्रमाणिक नवाचार गतिविधियों को बिहार एवं अन्य राज्यों में प्रसारित करेगा। यह छात्रों के पंजीकरण, परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता परीक्षा में उनकी उपस्थिति, परीक्षा का संचालन क्रेडिट ट्रांसफर, एवं सोसायटी के शिक्षण, परीक्षा तथा प्रमाण पत्र देने का कार्य के, संचालन के लिए, सोसायटी में इन कार्यो की पूर्ति हेतु अनुकूल एवं आवश्यक नियमों एवं शर्तो का निर्धारण करना एवं विहित करने के अलावा अन्य कार्य भी करेगा।

सोसायटी के सामान्य निकाय के अध्यक्ष मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार होंगे। अन्य सदस्यों में प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग एवं वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद एन0सी0ई0आर0टी0, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, कुलपति नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, कुलपति चाणक्य राष्ट्रीय विधि विशविद्यालय पटना, एस0एल0एम0ए0, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक होंगें।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार गजट में जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतिलिपि निदेशक, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिन्हाज आलम,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 398-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in